अहकाम हुक्म में	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	10.23	आज यह पत्रावली पेश हुई वकलाय प्रतिकारान उपस्थित। उन्हें सुना गया। उक्त उत्तरवादी द्वारा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत नियम 11 उपनियम 212 RTM का चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा निरस्त किया जाता है। कार्यवाही स्टे पूर्व प्रतिस्थापित किया जाता है। मूल्यांकन पूर्व द्वारा न्यायालय शुल्क 18-7-22 को वापस किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नस्ल के योग्य है। सलाम के मूल वाद हो।	

हेमराज मुनि
अपर जिला जज
मुकाबर